न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
ओमप्रकाश रैगर (आरटीएस)
दिनांक 23.02.2021

मि.न. 18 / 2021

सरकार बनाम धर्मवीर सिंह

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चिमनपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम कायमपुरा बास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1181 / 330 / 31.4है0 किस्म गै0मु0 पहाड मेंसे 0.40 है0 पर धर्मवीर सिंह तंवर पुत्र मोहरसिंह तंवर निवासी बनेठी ने गेहूँ कास्त कर अतिक्रमण कर लिया हैं।

अतः रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये। सूचना के उपरान्त गैर सायल उपस्थित आया परन्तु जबाब पेश नहीं किया ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया जिसके आधार पर गैर सायल को अनुतोष दिया जा सके। हमने पटवारी रिपोर्ट , पत्रावली में संलग्न दस्तवेजों पर गोर किया तो विवेचन में पाया कि गैर सायल का उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण किया जाना स्वतः ही सिद्व होता है अतः अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी ।

अतः गैर सायल धर्मवीर सिंह तंवर पुत्र मोहरसिंह तंवर निवासी बनेठी तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम कायमपुराबास के ख0 न0 1181 / 330 / 31.4है0 किस्म गै0मु0 पहाड़ में से 0.40है0 पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात पर बोई गई गेहूँ की फसल को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 12.80 रू. का पचास गुणा 640रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते निलामी, बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 23.2.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

वर्ष 2020-21 ..... क्र ... से ...
के पृष्ठ संख्या 24 ... पर ... 640/2
रुपये कायम किये गये।